

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी विषय) पद हेतु भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी. भ./व.अ.अग्रेजी/2016/ दिनांक 29-09-18 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये गए अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी विषय) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार लेवल-11 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रुपये 26500/- प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सनि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नियुक्ति/2018-19/339 दिनांक 29-09-18 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश परिपत्र दिनांक 04-03-18 के अनुसरण में दिनांक 30-09-18 को आयोजित परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक विषय अग्रेजी के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन पदस्थापित किया जाता है।

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा। (वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017)
5. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रैमनुरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।
7. वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :-

1. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नौकरी पर कार्यग्रहण करे। एवं नियुक्ति/पदस्थापन आदेश पर अभ्यर्थी का फोटो चस्पा कर प्रमाणित करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मियों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पाये जाने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अग्रेजी विषय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 30-06-17 को किया गया। अतः यदि किसी भी अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशैक्षिक (यथा स्नातक /बी0एड0/एडिशनल) योग्यता परीक्षा तिथि के पश्चात् की है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।

3/8

6. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।
7. आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की जाँच मूल प्रमाण पत्रों से कर ली जावे यदि जाँच में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जावे तो आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें ।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें ।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा । (प्रारूप संलग्न)
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे । (प्रारूप संलग्न)
11. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे ।
12. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए । (प्रारूप संलग्न)
13. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जाँच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है । अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 100/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी । (प्रारूप संलग्न)
14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे । (प्रारूप संलग्न)

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 05.10.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा । संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे ।

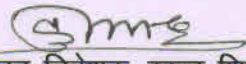
संलग्न:-आदेश - 1


 (इन्दिरा सिंह)
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग भरतपुर
 दिनांक : 30.09.2018

क्रमांक : सनि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नि0अग्रेजी/2018-19/ 343

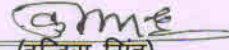
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं स0मा0 को संबंधित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आज ही संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें ।
8. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र आपके परिक्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित किए जा चुके हैं, आपसी समन्वय से आवेदन पत्र प्राप्त कर लेवे ।
9. सम्बन्धित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा ।
11. विभागीय वेबसाइट
12. रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अग्रेजी) 2016 परीक्षा से चयनित
अभ्यर्थियों के पदस्थापन (आदेश संख्या - 1)

क्र.स.	वर्ग	पुरानी मेरिट संख्या	नवीन मेरिट	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम मय पता सर्व श्री/श्रीमती /सुश्री	जन्म दिनांक	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान	जिला
1	GE,BL	399	402	SANT KUMAR SHARMA/MURARI LAL SHARMA/VILLAGE NOORPUR POST ANGAI, SARMATHURA,DHOLPUR	18-Apr-84	GEN M	BL	GOVT SECONDARY SCHOOL SUNDURPUR, DHOLPUR	DHAULPUR
2	GE,WE	81	76	NEHA SHARMA/MANO HAR LAL/PUROHITMOHALLA , KAMAN, BHARATPUR	22-Oct-94	GEN M		GOVT SECONDARY SCHOOL BADIPUR,KAMAN	BHARATPUR
3	GE	23	23	PRABHU DAYAL/LALARAM/VPO-HANTRA, , NADBAI, BHARATPUR	5-Nov-80	GEN M		GOVT SECONDARY SCHOOL KANCHANNER, PAHADI	BHARATPUR


 (इन्दिरा सिंह)
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग भरतपुर

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री आयु
निवासी शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ
कि मैं आज दिनांक तक अविवाहित हूँ। भविष्य में जब भी विवाह करूंगा/करूगी तो मेरे
विवाह में किसी प्रकार का दहेज न ही दिया जाएगा और न ही लिया जाएगा।

अथवा

मैं पुत्र/पुत्री आयु
निवासी शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ
कि मेरी शादी दिनांक का श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री श्री निवासी के
साथ सम्पन्न हुई है।

1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मेरे विवाह में किसी प्रकार का दहेज न ही लिया गया है और न ही दिया गया है।
2. मेरे एक से अधिक पति/पत्नि नहीं है।
3. मैंने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से जीवित पति/पत्नि है।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्य सत्य एवं सही हैं। जांच के दौरान गलत पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

(विवाहित अभ्यर्थी के प्रकरण में दहेज प्रमाण पत्र हेतु)

नाम एवं हस्ताक्षर ससुर(शपथ ग्रहिता)

नाम एवं हस्ताक्षर पिता(शपथ ग्रहिता)

शपथ-पत्र

1. मैं पुत्र/पुत्री आयु निवासी शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि
1. यह कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पूर्व संतानों की संख्या हैं।
 2. दिनांक 31.05.2002 के पश्चात मेरी संतानों की संख्या में वृद्धि/कमी होकर संतानों की कुल संख्या हैं। मेरी जीवित संतानों का विवरण निम्नानुसार है।
- क्रम सं० संतान का नाम लिंग जन्म तिथि

शपथग्रहिता-

2. मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता/करती हूँ।
3. मेरे विरुद्ध कोई ऐसा प्रकरण विचाराधीन नहीं है, जिसके लिए मुझे राजकीय सेवा से अयोग्य घोषित किया जा सके।
4. मेरे द्वारा साक्षी पत्र (ATTESTATION FORM) में दिया गया विवरण/घोषणा की समस्त प्रविष्टियाँ सत्य एवं सम्पूर्ण अंकित कर दी गई हैं।
5. मेरे द्वारा राज्य सरकार के नियुक्ति संबंधी उपबन्धों एवं नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं एतद् द्वारा उनकी पालना का वचन देता/देती हूँ।

शपथग्रहिता

दिनांक-

स्थान-

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री आयु निवासी

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है। इसमें कोई मिथ्या कथन अंकित नहीं है। मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है, यदि कोई तथ्य/सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

शपथग्रहिता

राज्य से बाहर अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप
(10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
निवासी _____ यह शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा राज्य से बाहर की निम्नांकित विवरणानुसार शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित की गई हैं:-

सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम व पता	अर्जित योग्यता का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नं०

मेरे द्वारा उक्तानुसार राज्य से बाहर की अर्जित की गई योग्यताएं सही/प्रमाणित नहीं पाये जाने पर विभाग मेरी य0अ0 पद पर की गई नियुक्ति निरस्त कर सकेगा एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणीकरण

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/सूचनाओं के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
निवासी _____ यह शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा बरिष्ठ अध्यापक पद पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज/सूचनाएं पूर्णतया सही एवं सत्य हैं। उक्त प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर मेरा य0अ0 पद पर किया गया घयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जाये।

वचन बंध पत्र

मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा
सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर वचनबद्ध कर्ता